

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

E-office No. 3316118/2020

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

महाप्रबंधक  
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: माल/कंटेनर यातायात से संबंधित नीतियों की वैधता को बढ़ाया जाना।

30.04.2020 तक माल/कंटेनर यातायात से संबंधित निम्नलिखित नीतियों की वैधता बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

विषय	बोर्ड पत्र/परिपत्र सं. एवं दिनांक	मौजूदा वैधता	बढ़ाई गई वैधता
<b>माल यातायात</b>			
1 परंपरागत एम्पटी प्लो डायरेक्शन में लदान किए गए यातायात के लिए उदासीकृत स्वघातित माल-भाड़ा छूट योजना जिसमें श्रेणी एलआर1/श्रेणी 100 पर शुल्क लिया जा रहा है।	सं. टीसीआर/1078/2018/04 दिनांक 16.11.2019 (2018 का दर परिपत्र सं. 16 और उसका शुद्धि पत्र)	31.03.2020	30.04.2020
2 रेड मड का श्रेणी 130 में वर्गीकरण	सं. टीसीआर/1078/2015/07 दिनांक 30.09.2019 (2015 के दर परिपत्र सं. 8 के लिए शुद्धिपत्र स.24)	31.03.2020	30.04.2020
<b>कंटेनर यातायात</b>			
3 खाली कंटेनरों और खाली प्लेट वैगनों के संचलन के लिए प्रति टीईयू दुलाई दर पर 25% की छूट	सं. टीसी-1/2014/302/2 दिनांक 27.12.2019 (2018 का दर परिपत्र 20 का शुद्धिपत्र स.3)	31.03.2020	30.04.2020
4 प्रति टीईयू आधार पर दुलाई प्रभार पर कोटा स्टोन की चार्जिंग	सं. टीसी-1/2014/302/2 दिनांक 18.03.2019 (दर मास्टर सर्कुलर/सीआरटी-सीसीआर-हब एण्ड स्पोक/2015/0 के लिए शुद्धिपत्र स. 21)	31.03.2020	30.04.2020
5 माल यातायात में यथा प्रकाशित	सं. टीसी-1/2014/302/2	10.04.2020	30.04.2020

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



लागू श्रेणी दरों पर 20% की छूट लागू करके सीआर कॉइल की चार्जिंग	दिनांक 02.04.2019 (दर मास्टर सर्कुलर/सीआरटी-सीसीआर-हब एण्ड स्पोक/2015/0 के लिए शुद्धिपत्र स. 23)		
--	--	--	--

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(ब्रजेश धरमानी)


कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)  
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:

पीएफए, सभी भारतीय रेलें,

उप महानियंत्रक लेखापरीक्षा (रेलें), कमरा संख्या 222, रेल भवन, नई दिल्ली




कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

नई दिल्ली, दिनांक: 23.03.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:

पीसीसीएम, पीसीओएम, पीएफए, सभी क्षेत्रीय रेलें

एमडी, सीआरआईएस, सीएओ/एफओआईएस, जीएम(एफओआईएस)/सीआरआईएस



(ब्रजेश धरमानी)

कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)  
रेलवे बोर्ड